न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 14/19 **सन् 2019**
आरसीएमएस संख्या 2019/00047

बउनवानीः—

1. कन्हैयालाल पुत्र सुगनचन्द जाति योगी(नाथ)निवासी आलनपुर तह0 सवाईमाधोपुर
2. सीताराम पुत्र सुगनचन्द जाति योगी(नाथ)निवासी आलनपुर तह0 सवाईमाधोपुर
3. योगेन्द्र पुत्र सुगनचन्द जाति योगी(नाथ)निवासी आलनपुर तह0 सवाईमाधोपुर
4. विमलेश पुत्री सुगनचन्द जाति योगी(नाथ)निवासी आलनपुर तह0 सवाईमाधोपुर
5. लाडबाई बेवा सुगनचन्द जाति योगी(नाथ)निवासी आलनपुर तह0 सवाईमाधोपुर

बनाम

1. मिटठूलाल पुत्र बजरंगा जाति योगी(नाथ)निवासी आलनपुर तह0 सवाईमाधोपुर
2. कन्हैयालाल पुत्र बजरंगा जाति योगी(नाथ)निवासी आलनपुर तह0 सवाईमाधोपुर
3. सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 2529 निर्णय दिनांक 14.6.2019 वाके ग्राम आलनपुर तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा — वकील अपीलान्ट
2. श्री हरिप्रसाद योगी — वकील रेस्पो.

—: निर्णय :— **दिनांक 13.11.2019**

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 2529 निर्णय दिनांक 14.6.2019 वाके ग्राम आलनपुर तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है क्योकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि बाबत विरासत की एवं मौके पर काबिज अपीलान्ट के संबंध में जॉच नही की गयी ओर ना ही अपीलान्ट को नोटिस दिया गया है। जबकि उक्त नामा0 से संबंधित विवादित भूमि साबिक राजस्व अभिलेख सम्वत् 1988 के अनुसार मंदिर श्री काला गोरा भैरू जी के नाम से दर्ज थी, तत्पश्चात बीस साला खतौनी सम्वत् 2004 से सम्वत् 2023 के अनुसार खाता संख्या 68 में अंकित कृषि भूमि मृतक गोरया पुत्र जीवण नाथ के नाम से दर्ज थी। मृतक गोरया नाथ सन् 1960 में लाऔलाद ही फोत हो गया था मृतक गोरया से पूर्व विवादित भूमि मंगल पुत्र जगन्नाथ नाथ के नाम से मिशल हकीयत में दर्ज थी। कथन के समर्थन में मिलान क्षेत्रफल ख0न0 व मिसल हकीयत व अन्य राजस्व अभिलेख प्रस्तुत किये गये। यह तर्क भी दिया कि रेस्पो. के पिता मृतक बजरंगा के प्राकृतिक पिता का नाम माधो था। मृतक बजरंगा चालाक किस्म का व्यक्ति था जो मृतक गोरी लाल नाथ का फर्जी वारिस बनकर माफी मंदिर श्री काला गोरा भैरू जी के नाम से मिसल हकीयत मे दर्ज भूमि ख.न. साबिक 694 को भी अपने नाम से दर्ज करवा ली जबकि मृतक बजरंगा का वास्तविक पिता का

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

नाम माधो था। यह तर्क भी दिया आदेश जैर अपील में अंकित भूमि खाता संख्या 99 के हाल ख0न0 1953 रकबा 0.01, ख0न0 1956 रकबा 0.02 है0 ख0न0 1957 रकबा 0.11 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.14 है0 जो कि साबिक ख0न0 494 खतौनी बीस साला के अनुसार बने है तथा ख0न0 494 के पुराने ख0न0 694 है जो मिसल हकीयत 1988 के अनुसार मंदिर श्री काला गौरा भैरू के नाम से दर्ज है तथा उक्त भूमि पर कदीमी समय से अपीलान्टगण का ही भौतिक कब्जा काश्त है। यदि रेस्पो. का कब्जा काश्त होता तो मृतक बजरंगा की मृत्यु होते समय ही विरासत का नामा0 खुलवा लेते। लेकिन मृतक गोरया पुत्र जीवन के फर्जी वारिस बनकर बिना किसी अधिकार के आदेश जैर नामा0 दर्ज करवा है। यह तर्क भी दिया कि ख0न0 597 रकबा 11 बिस्वा बजरंगा पुत्र माधो नाथ के नाम दर्ज थी एवं हाल ख0न0 1967 रकबा 0.14 है0 भूमि मृतक बजरंगा पुत्र माधो लाल नाथ के नाम से दर्ज है। यह तर्क भी दिया कि मृतक बजरंगा की दिनांक 11.3.1990 को मृत्यु होने पर विरासत का नामा0 खाता संख्या 207 सम्वत् 2066 से 2069 मे दिनांक 22.9.2011 को नामा0 संख्या 2181 के द्वारा रेस्पो. 1 व 2 के नाम दर्ज हो गया था कथन के समर्थन में खाता संख्या 207 की जमाबन्दी सम्वत् 2066 की जमाबन्दी की नकल प्रस्तुत की गयी। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व मृतक गोरया पुत्र जीवन के सजरा खानदान की व कब्जे काश्त व मौके पर काबिज व्यक्तियों से भी जानकारी नही की गयी। आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 26.6.2019 को जमाबन्दी की नकल लेने पर प्राप्त हुई है तथा विवादित आदेश की दिनांक 12.7.2019 के नकल प्राप्त होने पर अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने बाबत निवेदन किया गया।

विद्वान रेस्पो. द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है क्योकि उक्त नामा0 नियमानुसार विरासत एवं कब्जे के आधार पर दर्ज किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपील में बताया गया है कि उक्त विवादित भूमि हाल ख0न0 597 एवं 1967 विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम जरिये विरासत गोरया नाथ लाओलाद का वारिस विपक्षी संख्या 1 व 2 का पिता बजरंगा नाथ जो कि फोत हो जाने के कारण विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम नामा0 खोला गया है । यह तर्क भी दिया कि जरिये विरासत सम्वत् 1999 के तत्कालीन स्टेट सवाई जयपुर के स्टाम्प राशि 1 रूपये के आधार पर दिनांक 14.6.2019 को खोले गये नामा0 संख्या 2529 मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। यह तर्क भी दिया कि रेस्पो. के पिता बजरंगा नाथ जो कि विवादित भूमि का बहेसियत विरासत उत्तराधिकारी था जिसकी मृत्यु दिनांक 11.3.1990 को हो गयी ओर उसके विधिक वारिसान बतौर रेस्पो. के नाम से नामा0 2529 दिनांक 14.6.2019 को भरा गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में उक्त भूमि को माफी मंदिर श्री काला गौरा भैरव जी की बताया गया है जबकि यह भूमि सम्वत् 1945 मे मृतक गोरया पुत्र जीवन नाथ के नाम से दर्ज थी। ऐसे में माननीय राजस्व बोर्ड अजमेंर द्वारा जारी आदेश/परिपत्र वर्ष 2007 के अनुसार राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुन ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के अनुसार माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम या पुजारी के नाम दर्ज थी उनमे उन काश्तकारो को पूर्ण उत्तराधिकार प्राप्त होगा ऐसी भूमि को पुनः मंदिरों के नाम दर्ज किया जाना विधिसम्मत नही है। राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियों के नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा। अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखे जाने बाबत वकील रेस्पो. द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि वकील अपीलान्ट द्वारा किये गये कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार उक्त भूमि साबिक 694 रकबा 11 बिस्वा मिशल हकीयत,1988 में मंदिर माफी भैरू जी के नाम से दर्ज है, मिलान ख0न0 के अनुसार उक्त भूमि का ख0न0 494 बना है तथा साबिक ख0न0 494 के हाल ख0न0 1953,1956 एवं 1957 कुल किता 3 कुल रकबा 0.14 है0 बने है जो खाता संख्या 99 पर गोरया पुत्र जीवन नाथ के नाम दर्ज है। जिसका विवादित नामा0 संख्या 2529 दर्ज फैसल किया गया है। वकील अपीलान्ट का यह कथन की रेस्पो. के पिता की मृत्यु 11.3.1990 को हुई थी एवं 11.2.2002 को मृत्यु प्रमाण पत्र बजरंगा पुत्र माधो नाथ के नाम से बनवाने हेतु जन्म मृत्यु रजिस्टर के क्र.स. 53 पर दर्ज करवाया गया है किन्तु मृत्यु प्रमाण पत्र पर बजरंगा के पिता का नाम अंकित नही होने के कारण बजरंगा की असली वल्दीयत का पता नही चलता है। ऐसी स्थिति में रेस्पो. के पिता मृतक बजरंगा गोरया का पुत्र है अथवा माधो का पुत्र है के संबंध में स्पष्ट जानकारी किया जाना आवश्यक था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 11.2.2002 के आधार पर मृतक बजरंगा को गोरया का पुत्र मानते हुए नामा0संख्या 2529 दर्ज फैसल किया है जबकि उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र में मृतक बजरंगा की वल्दीयत अंकित नही है। इसके अतिरिक्त वाके ग्राम आलनपुर के खाता संख्या 198 की जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 जो कि बजरंगा पुत्र माधोलाल नाथ के नाम से दर्ज रिकार्ड है उसका नामा0 अभी तक नही खुलवाना भी सन्देहस्यापद प्रतीत होता है। इस प्रकार वकील अपीलान्ट का तर्क कि मृतक बजरंगा गोरया का पुत्र नही है वह माधो का पुत्र है के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेज यथा जन्म और मृत्यु रजिस्टर की छायाप्रति पर विचार किया जाना आवश्यक है। वकील रेस्पो. द्वारा ऐसा कोई सबूत पेश नही किया है कि जिसके आधार पर मृतक बजरंगा को गोरया का पुत्र माना जा सके। सम्वत् 1999 के तत्कालीन स्टेट सवाई जयपुर के स्टाम्प पर तहरीर की गयी विरासत का पठनीय अनुवाद नही होने के कारण उसमे क्या तहरीर किया गया है पढा जाना मुमकिन नही है। ऐसी स्थिति मृतक बजरंगा माधो का पुत्र है अथवा गोरया का पुत्र के संबंध मे जानकारी करवाने हेतु प्रकरण को तहसीलदार सवाई माधोपुर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील खारिज किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि मृतक बजरंगा नाथ के पिता के सही नाम के संबंध में जानकारी कर पुनः गोरया के विधिक वारिसान के नाम नाम0 भरकर दर्ज फैसल करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.11.20 17:51:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: